9– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन /संशोधन /परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है , अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व संस्था का होगा ।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

पृ0सं0आशु0/758-65 /2011–12 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित –

1–सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा–7 अनुभाग, लखनऊ ।
2–मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।
3–जिलाधिकारी गोरखपुर ।
4–शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ ।
5–जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर ।
6–प्रबन्धक/प्रधानाचार्य माउण्ट लिट्राजी स्कूल ग्राम रूद्रापुर, कुसम्ही, बाजार गोरखपुर ।
7–गार्ड फाईल ।

(प्रताप सिंह बघेल)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

2

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

सेवामें,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र , प्रीति बिहार ,
नई दिल्ली ।

पत्रांकः आशु0 / एन0ओ0सी0 / / 2012–13 दिनांकः 5 मई 2012

विषयः– माउण्ट लिट्राजी स्कूल ग्राम रूद्रापुर, कुसम्ही, बाजार गोरखपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1916 / 15–7–9–1(299) / 2007 दिनांक 14–7–2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली / सेन्ट्ल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश है। उक्त शासनादेश के आलोक में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 05.05.2012 द्वारा माउण्ट लिट्राजी स्कूल ग्राम रूद्रापुर, कुसम्ही, बाजार गोरखपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1–विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय –समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2–विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा ।

4–संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

5–संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतन मानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

6– कर्मचारियों के सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0 मा0 विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

7– राज्य सरकार / विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी ।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा ।